सत्यमेव जयते

THE

JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

4 Aasadh, 1942 (S)

No. 295

Ranchi, Thursday, 25th June, 2020

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification No. 27/2020 – State Tax

S. O. No. 43, Dated- 25th June, 2020 :- In exercise of the powers conferred by section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said registered persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1**under the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No.	**Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished**	**Time period for furnishing details in FORM GSTR-1**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	April, 2020 to June, 2020	31st July, 2020
2	July, 2020 to September, 2020	31st October, 2020

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 of the said Act, for the months of April, 2020 to September, 2020 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

4. This notification shall be deemed to be effective from the 23rd of March, 2020.

[File No. Va Kar / GST / 01/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Vandana Dadel,
Secretary, Commercial Taxes Department

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना संख्या. 27/2020- राज्य कर

एस. ओ. सं. 43, दिनांक- 25 जून, 2020 :- झारखंड सरकार, झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपये तक का संकलित व्यापारावर्त रखने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में, जो माल या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नीचे उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अधिसूचित करती हैं ।

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट त्रैमास के दौरान प्रभावी, झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन **प्ररुप जीएसटीआर-1** में माल या सेवा अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे उक्त सारिणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समय सीमा तक प्रस्तुत करेंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	**त्रैमास जिसके लिए प्ररुप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं ।**	**प्ररुप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि ।**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	अप्रैल, 2020 से जून, 2020	31 जुलाई, 2020
2	जुलाई, 2020 से सितंबर 2020	31 अक्टूबर, 2020

3. अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी ।

4. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2020 से लागू मानी जायेगी ।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी०/01/2020]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सचिव, वाणिज्य कर विभाग

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 295 -- 50